न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—50 / 2016 / 223(2016 / 00050)

1. भंवरलाल पुत्र मोहनलाल, जाति ढोली, नि0 जड़वासा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद, दिनांक 1.7.2015 अंतर्गत वाद संख्या 142 / 2014 .

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .

निर्णय

दिनांकः—26.03.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 1.7.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी / अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जडवासा, तहसील नसीराबाद स्थित भूमि चौसाला खसरा नंबर 38 रकबा 151—17—00 बीघा में से 10 बीघा भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 3.2.1983 को आवंटन की जाकर मौके पर कब्जा व दखल प्रदान किया गया था एवं जमाबंदी संवत् 2023 में आवंटन का अंकन कर दिया गया था । आवंटन दिनांक से अपीलांट आवंटित भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है । उक्त आराजियात के वर्किंग खसरा नंबर 57 मिन एवं आधार खसरा नंबर 457 / 1412 कायम किये गये लेकिन बंदोबस्त विभाग द्वारा दौराने भू—प्रबंध कार्यवाही वादग्रस्त आराजियात अग्रिम जमाबंदी में सिवायचक दर्ज कर दी गई । इस गलत इंद्राज के आधार पर राज्य सरकार द्वारा अपीलांट के विरूद्ध लगातार धारा 91 राज0भू—राजस्व अधि0 के तहत कार्यवाहियां की जा रही है । अतः वाद वादी स्वीकार कर वादी / अपीलांट को आवंटित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 1.7.2015 द्वारा वादी / अपीलांट का वाद खारिज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात अपीलांट को दिनांक 3.2.1983 को आवंटन की जाकर मौके पर कब्जा एवं दखल सौंपा गया था एवं चौसाला जमाबंदी संवत् 2023 में उक्त आवंटन आदेश के आधार पर यह नोट अंकित किया गया था कि '' मुताबिक आदेश क्रमांक ए.पी./83/कायालय सहायक जिलाधीश एवं कार्यपालक दण्डनायक, अजमेर कैम्प झडवासा के अनुसार दिनांक 3.2.1983 भंवरलाल, भागचंद पिसरान मोहनलीाल ढोली के नाम खसरा नंबर 38 मिन रकबा 10 बीघा का अलॉट हुआ। '' आवंटन दिनांक से अपीलांट विवादित आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है एवं राज्य सरकार को पूर्व में लगान तत्पश्चात् शास्ती अदा करता आ रहा है । इस संबधं में अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष लगान की रसीदें, शास्ती की रसीदे एवं जमाबंदी संवत् 2023 की प्रतियां पेश की थी किन्तु अधी0न्याया0 ने समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर वादी/अपीलांट का वाद निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजियात के वर्किंग खसरा नंबर 57 मिन एवं आधार खसरा नंबर 457/1492 कायम किये गये जिस पर लगातार काबिज काश्त चला आ रहा है लेकिन बंदोबस्त विभाग ने दौराने भू–प्रबंध कार्यवाही वादग्रस्त आराजियात अग्रिम जमाबंदी में सक्षम न्यायालय के आदेशों के बिना सिवायचक दर्ज कर दी जिसका भू–प्रबधं विभाग को कोई अधिकार नहीं था । विवादित भूमि पर अपीलांट का लगातार कब्जा काश्त होने से ही उसके विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही की जा रही है। अधी0न्याया0 के समक्ष उपरोक्त दस्तावजी साक्ष्यों के आधार पर वाद डिक्री करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं था किन्तु अधी0न्याया0 ने समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअदांज कर वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा प्रकरण को कैम्प झडवासा में निर्णित किये जाने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया एवं न ही कोई नोटिस ही जारी किये गये थे जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांट को नहीं सकी थी । दिनांक 4.9.2015 को अपीलांट द्वारा अपने प्रकरण की जानकारी बाबत् अधी0न्याया0 में जाने पर जानकारी हुई कि प्रकरण का निर्णय दिनांक 1.7.2015 को कैम्प झडवासा में हो चुका है तब प्रार्थी ने निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज होकर किस्म गै0मु0पहाड़ी अंकित है । अपीलांट ने विवादित आराजी पर कब्जे काश्त के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित

एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट का कथन है कि विवादित भूमि अपीलांट को दिनांक 3.2.1983 को आवंटन सलाह समिति द्वारा आवंटित की गई थी जिसका अमल दरामद जमाबंदी संवत् 2023 में हो चुका था किन्तु दौराने भू–प्रबंध सेटलमेंट विभाग ने विवादित भूमि को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेशों के सिवायचक दर्ज कर दी । इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 ने वादी के वाद को कैम्प झडवासा में रखकर निर्णित किया है किन्तु अधी0न्याया0 ने वाद को निर्णित करने हेतु वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर वाद में तनकियात कायम नहीं कर केवल मात्र सरसरी तौर पर वाद को निर्णित किया है जिससे अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर नहीं मिला है । अधी0न्याया0 को वाद में वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावुण पर निर्णित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के कम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 1.7.2015 अंतर्गत वाद संख्या 142/2014 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वाद में वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 26.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर